सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") (सीआईएनः L40101DL1969GOI005095) की इक्यावनवीं (51वीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) निम्नलिखित कार्य निष्पादन के लिए **दिनांक 25 सितंबर, 2020, शुक्रवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे** भारतीय समयानुसार (आईएसटी), **वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से** आयोजित की जाएगीः

साधारण कार्य

मद संख्या 1: निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडओलन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

मद संख्या 3: श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः 03464342) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 5: कंपनी की समग्र उधारी की सीमा में वृद्धि करना।

निम्नलिखित संकल्प (पों) पर एक विशेष संकल्प के रूप में संशोधन (नों) के बिना अथवा संशोधनों सहित विचार करना और उपयुक्त पाए जाने पर उसे पारित करनाः–

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2018 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किए गए पूर्व संकल्प के अधिक्रमण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (किसी सांविधिक संशोधनों सहित अथवा तत्समय लागू तत्संबंधी पुनः अधिनियमन) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसरण में और किसी अन्य लागू कानून और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की सहमति, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") को अपने विवेक से, समय–समय पर ऐसी धनराशि अथवा ऐसी कुल धनराशि, कंपनी के कार्यों के प्रयोजन से बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर प्रतिभूति के साथ अथवा प्रतिभूति के बिना उधारी के लिए एतदद्वारा सहमति प्रदान की जाती है, बावजूद इसके कि कंपनी द्वारा पहले प्राप्त की गई उधारी की राशि सहित आगे उधारी की राशि (सामान्य कारोबारी कार्य के लिए कंपनी के बैंकर्स से प्राप्त अस्थायी ऋणों के अलावा), कंपनी की चुकता पूंजी को मिलाकर उससे अधिक होगी, बशर्ते कि किसी भी समय उधारी की कुल धनराशि और उस समय बकाया धनराशि भारतीय रुपए में 4,50,000 करोड़ रुपये (चार लाख पचास हजार करोड़ रुपये मात्र) और विदेशी मुद्रा में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बारह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) के समान से अधिक नहीं होगी।"

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा अथवा निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत गठित किसी समिति सहित) उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी कृत्य, कार्य और ऐसा काम करने और निष्पादन करने के लिए अधिकृत होंगे और एतदद्वारा अधिकृत किए जाते हैं।"

मद संख्या 6: कंपनी की सभी अथवा किसी चल और/अथवा अचल परिसंपत्तियों का मॉर्टगेज और/अथवा चार्ज करना।

निम्नलिखित संकल्प (पों) पर एक विशेष संकल्प के रूप में संशोधन (नों) के बिना अथवा संशोधनों सहित विचार करना और उपयुक्त पाए जाने पर उसे पारित करनाः–

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2018 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किए गए पूर्व संकल्प के अधिक्रमण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (किसी सांविधिक संशोधनों सहित अथवा तत्समय लागू तत्संबंधी पुनः अधिनियमन) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के अनुसरण में और किसी अन्य लागू कानून और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की सहमति, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") को अपने विवेक से, समय–समय पर धनराशि की उधारी के लिए प्रतिभूति हेतु, कंपनी के लाभ के लिए और बोर्ड तथा उधारदाता (ओं) के बीच यथा सहमति से किसी के द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर किसी बैंक, वित्तीय संस्थानों, हायर परचेज/लीज कंपनियों, बॉडी कारपोरेट अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में कंपनी के पूरे उपक्रम अथवा उपक्रमों की समग्र अथवा पर्याप्त, वर्तमान और भावी, दोनों कोई चल और/अथवा अचल परिसंपत्तियों, कहीं भी स्थित हो, पर अधिकार प्रदान करने, गिरवी रखने, बंधक करने के लिए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार और इस संबंध में किसी अन्य सांविधिक और संकलित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार कंपनी के कारोबार अथवा अन्यथा कार्य के प्रयोजन से भारतीय रूपए में अधिकतम 4,50,000 करोड़ रुपये (चार

लाख पचास हजार करोड़ रुपये मात्र) और विदेशी मुद्रा में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बारह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) के समान तक की धनराशि प्रदान की जाती है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत गठित किसी समिति सहित) उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी कृत्य, कार्य और ऐसा काम करने तथा निष्पादन करने के लिए अधिकृत होंगे और एतदद्वारा अधिकृत किए जाते हैं।"

मद संख्या 7: प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:–

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी अन्य सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा फिलहाल लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों के इश्यू तथा सूचियन) (संशोधन) अधिसूचना, 2012 और अन्य लागू सेबी विनियमों और समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशा–निर्देशों सहित किन्हीं अन्य लागू कानूनों, कंपनी के मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों तथा यथालागू आवश्यक अनुमोदनों और उन अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किसी अन्य विद्यमान उधारदाता/डिबेंचरधारकों के न्यासियों के अनुमोदन सहित, आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अध्यधीन, करार/विलेख की शर्तों के तहत, यदि वह अपेक्षित हों तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमतियों और स्वीकृतियों जिसे कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी की सहमति एतदद्वारा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को एक अथवा अधिक भागों में इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान 85,000 करोड़ रुपये तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों को निजी क्षेत्र में रखने के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती हैं जो कंपनी के बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड (अथवा बोर्ड की विधिवत गठित कोई समिति अथवा अन्य प्राधिकारी, जैसा भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए) अपने पूर्ण निर्देश पर निर्णय ले जिनमें पात्र निवेशक (आवासी और/अथवा गैर–आवासी और/अथवा संस्थायें/निगमित निकाय और/अथवा अलग–अलग व्यक्ति और/अथवा न्यासी और/अथवा बैंक अथवा अन्यथा, घरेलू और/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में) गैर–आवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगम निकाय, कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक अथवा अन्य कंपनियां, प्राधिकारी शामिल हैं और उन अन्य व्यक्तियों को एक या अधिक भागों में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उनके एक या अधिक संयोजनों में तथा ग्रीन शो विकल्प का प्रयोग करने से (ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार 85,000 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई है, यथालागू दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित की जाने वाली उन शर्तों पर तथा बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर निधियां जाने की एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूति रहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्राधिकारी को एतदद्वारा उन निवेशकों की श्रेणी सहित इश्यू के निबंधन निर्धारित करने, जिनको बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या इश्यू की कीमत, टेनर, ब्याज दर, किश्त/उस समय विद्यमान बाजार कीमत में छूट, इश्यू की राशि, बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी को इश्यू की कीमत में छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने और ऐसे सभी कार्य/विलेख और बातें, जो उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत अपेक्षित हों, करने तथा निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 8: कंपनी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेन–देनों के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:–

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसके अधिकार) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (उस समय लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 188 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और फिलहाल लागू किसी संविधि के तहत किसी अन्य लागू कानून/नियम के अनुसरण में तथा उन उपयुक्त प्राधिकारियों के अनुमोदन/सहमति के अधीन किसी प्रकार के सामान अथवा सामग्री अथवा संपत्ति की बिक्री/खरीद की प्रकृति में (सीधे ही अथवा किसी एजेंट के माध्यम से), किसी भी किस्म की संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता, कार्मिकों की नियुक्ति सहित सेवाएं लेने अथवा देने, समय–समय पर सहायता एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी लिमिटेड (आरईसी) द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) अथवा आरईसी की अन्य किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान एवं भावी)

के साथ की जाने वाले संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन–देन (लेन–देनों) के लिए एतदद्वारा कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है, बशर्ते कि इन संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन–देन (लेन–देनों) का संचयी मूल्य तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी के कारोबार के दो प्रतिशत (2%) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी के कारोबार के दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के भीतर आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान अथवा भावी) अथवा ईईएसएल के साथ अलग संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन–देन (लेन–देनों) का अनुमोदन करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिनमें संबंधित पक्षकार का नाम और ईईएसएल अथवा आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ की जाने वाली संविदा अथवा व्यवस्था के ब्यौरे तथा संबंध की प्रकृति और अवधि, अन्य बातों के साथ–साथ संविदा के मूल्य सहित उस संविदा अथवा व्यवस्था की वास्तविक शर्तें, किए जाने वाले/प्राप्त, यदि कोई है, अग्रिम भुगतान, कीमत और अन्य वाणिज्यिक शर्तें निर्धारित करने का तरीका संविदा के भाग के रूप में शामिल तथा संविदा के भाग के रूप में न मानी गई शर्तों और/अथवा इस संबंध में निर्धारित किया जाने वाला कोई मामला शामिल होगा।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी सहित) को इस संबंध में उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए यथावश्यक रूप में सभी ऐसे कार्यों, विलेखों और बातों को करने और निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

ह./–
जे. एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

स्थानः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 31 अगस्त, 2020

टिप्पणियां:–

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसरण में, सूचना की मद क्रम सं. 5 से 8 के तहत कारोबार के संबंध में उल्लिखित वास्तविक तथ्यों के लिए स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 7 अगस्त, 2020 को हुई अपनी बैठक में यह विचार किया था कि सूचना के क्रम सं. 5 से 8 पर विशेष कारोबार की मदें अपरिहार्य प्रकृति की हैं जिन पर कंपनी की 51वीं वार्षिक आम सभा में कार्य किया जाएगा।
2. कोविड–19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया जाता है और देश में कई स्थानों पर व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी हैं तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र के अनुसरण में तथा अधिनियम के प्रावधानों और सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ["सेबी (एलओडीआर) विनियम"] के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए आयोजित की जा रही है। 51वीं एजीएम बैठक का माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
3. एमसीए परिपत्रों की शर्तों, एजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फार्म और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट देने, 51वीं एजीएम में वीसी/ओएमवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग को लिए की जाएगी।
4. 51वीं एजीएम में वीसी/ओएमवीए सुविधा के लिए भाग लेने में सदस्यों की भागीदारी की उपस्थिति अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनी जाएगी।
5. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र के अनुसार 51वीं एजीएम का नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को ई–मेल के जरिए भेजा जा रहे हैं, जिनके ई–मेल पते कंपनी के पास दर्ज हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर तथा साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने, भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनके ई–मेल पते दर्ज करने/अद्यतन करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया था। इसके अलावा, कंपनी ने शेयरधारकों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेजे थे, जो ई–मेल पते अद्यतन करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी के पास दर्ज थे।

ऐसे शेयरधारक, जो अभी भी अपने ई–मेल पते अद्यतन नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस सूचना में दिए गए संकल्पों पर ई–मेल पते दर्ज कराने और ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा:

- यदि शेयरों को डीमैट फॉर्म में रखा गया है तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 डिजिटल का डीपी. क्लाइंट आईडी अथवा 16 डिजिटल का लाभार्थी आईडी), धारक के नाम का उल्लेख करते हुए complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें, साथ में क्लाइंट मास्टर लिस्ट/डीमैट एकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति भेजें।
- यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है तो कृपया फोलियो नं., नाम का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाण–पत्रों (सामने और पीछे की ओर से), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति complianceofficer@recl.in पर ई–मेल के माध्यम से भेजें।

6. कंपनी के सभी सदस्यों व संस्थागत निवेशकों को एजीएम में भाग लेने और एजीएम में भाग लेने और एजीएम में कार्य के लिए मदों पर वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति/जांचकर्ता को अधिकृत करने का पत्र scrutinizer.recl@gmail.com पर ई–मेल के माध्यम से भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।

7. कंपनी में 51वीं एजीएम में किए जाने वाले कार्यों की मदों के संबंध में वोट देने के लिए पात्रता को निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट **18 सितंबर, 2020, शुक्रवार** निर्धारित की है।

कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना देकर कंपनी का सदस्य बनता है और निर्धारित तारीख को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। कोई शेयरधारक, अपनी शेयरधारिता इस प्रकार दर्शाता है कि वह निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार एक सदस्य नहीं है, तो वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

इसके अलावा, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक दिनांक **19 सितंबर, 2020, शनिवार से 25 सितंबर, 2020, शुक्रवार तक (दोनों दिन शामिल हैं)** बंद रहेगी।

8. डॉ. एस. चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, वरिष्ठ भागीदारी अथवा उनके न होने पर श्री रुपेश अग्रवाल, प्रबंधक भागीदार, चन्द्रशेखरण एसोसिएट्स कंपनी सचिव, नई दिल्ली को 51वीं एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दिए गए वोटों को जांचने के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वो सूचना में उल्लिखित मदों पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकें। ऐसे शेयरधारक, जो रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना मत नहीं देते, वे एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना मत दे सकते हैं।

एनएसडीएल ई–वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 51वीं एजीएम में भागीदारी और 51वीं एमजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **22 सितंबर, 2020, मंगलवार (10 00 बजे)** को शुरू होगी और दिनांक **24 सितंबर, 2020, गुरूवार (17 00 बजे)** को समाप्त होगी। एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्य 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग ले सकते हैं, जिसे सदस्यों के लिए 25 सितंबर, 2020, शुक्रवार को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 10.45 बजे अर्थात शुरू होने से निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खोला जाएगा और कंपनी द्वारा एजीएम की तारीख को शुरू होने के निर्धारित समय अर्थात पूर्वाह्न 11.30 बजे के बाद 30 मिनट वीसी/ओएवीएम सुविधा लेने के लिए विंडो को बंद किया जाएगा।

कृपया ई–वोटिंग, 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 और समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, कंपनी ने 24 फरवरी, 2020 को प्रति इक्विटी शेयर 11 रुपये (10 रुपये के अंतरिम मूल्य पर) की दर से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कोई अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

    वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, लाभांश आय 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के पास कर योग्य होगी और कंपनी को आय कर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को लाभांश से स्रोत पर कटौती ("टीडीएस") करनी होगी। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस की आवश्यकता के साथ अनुपालना करने के लिए, सदस्यों को वार्षिक आधार पर 15जी/15एच फॉर्म प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है और अपने निवास की स्थिति, पैन, आय कर अधिनियम के अनुसार श्रेणी के विवरण अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के पास अथवा वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरएंडटीए के पास अद्यतन करने होंगे ताकि स्रोत पर कर, यदि कोई हो, तो भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश के भुगतानों के संबंध में लागू दरों पर कटौती की जा सके।

11. पुनः नियुक्ति की मांग के लिए निर्देशक (निर्देशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015} इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार एक आम बैठक में अथवा एक आम बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा।

    कंपनी की 50वीं एजीएम में, जो दिनांक 29 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में, वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्धारित करने और अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को अधिकृत किया गया था। तद्नुसार, निदेशक मंडल ने 44,00,000 रुपये (चौवालीस लाख रुपए मात्र) लागू कर का पारिश्रमिक भुगतान करने का अनुमोदन किया जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स ओ. पी. बागला एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बराबर वितरित किया जाना था। बोर्ड ने यह भी अनुमोदित किया कि उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को वास्तविक तर्कसंगत यात्रा भत्ते और आउटस्टेशन लेखापरीक्षा कार्य के लिए आउट ऑफ पॉकेट व्यय का भुगतान किया जाएगा, जो सीएमडी/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

    इसके अलावा, मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी [फर्म पंजीकरण सं. 000018एन/एन500091], चार्टर्ड एकाउंटेंट और मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं. [फर्म पंजीकरण सं. 001135एन], चार्टर्ड एकाउंटेंट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उपयुक्त पाए जाने पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

13. सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षतिध्खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। यह उल्लेख करना भी व्यावहारिक है कि 01 अप्रैल, 2019 से सेबी ने निर्धारित किया है कि प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोधों (पारेषण अथवा दूसरी जगह देने के मामलों को छोड़कर) पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक प्रतिभूतियां जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में धारित न हों। तदनुसार, हमारा आपसे अनुरोध है कि अपनी शेयरधारिता को वास्तविक स्वरूप से मौजूदा डीमैट खाते में अथवा किसी भी प्रतिभागी जमाकर्ता (डीपी) के साथ खोले जाने वाले नए डीमैट खाते में शीघ्र ही डीमैट स्वरूप में परिवर्तित करें।

14. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के ट्रांसमिशन, स्थानांतरण, सब–डिवीजन, समेकन से संबंधित या किसी अन्य से संबंधित मामले और/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार आर एंड टीए कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजें।

15. चूंकि सेबी ने निवेशकों के लिए नकद भुगतान करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम का उपयोग किया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/सीधे जमा करने के आदेश अथवा उनमें परिवर्तन प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/सीधे जमा करने/वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म आरएंडटीए को **केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., यूनिटः आरईसी लि., सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबॉवली**

फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032, भारत के पते पर भेज सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, वे एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म सीधे उनके जमाकर्ता भागीदार (डीपी) को भेज सकते हैं जिन्होंने पहले ही एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म पूरे ब्यौरों के साथ कंपनी/आरएंडटीए/डीपी को भेज दिए हैं।

16. ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट इसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त हुए हैं/नकदीकरण नहीं कराया है, वे कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में अथवा कंपनी के आरएंडटीए को वारंट को पुनः वैध कराने अथवा ऐसे वारंट के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करने के लिए लिखें।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 और निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन लेखापरीक्षा, अंतरण एवं अदायगी) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के पास पड़ी बिना भुगतान की और अदावाकृत राशि के अपेक्षित ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, धनराशि एवं शेयरों के निवेशक–वार ब्यौरे, जो पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

    इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अदावाकृत अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अक्तूबर, 2020 और मार्च, 2021 में आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय होंगे।

18. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन यथाअनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 में यथानिर्धारित प्रपत्र एसएच–13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डीपी को सीधे भेजा जा सकता है।

19. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के रजिस्टर तथा उनकी शेयरधारिता का रख–रखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। अनुबंधों का रजिस्टर और व्यवस्थाएं, जिसमें निदेशक रुचि रखते हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत उनका रख–रखाव किया जाता है और नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात 25 सितंबर, 2020 तक सदस्यों द्वारा बिना शुल्क के इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। इन दस्तावोजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें।

20. इस बैठक की कार्यवाही की किसी मद के संबंध में कोई भी सूचना चाहने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए ई–मेल एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिनों पहले complianceofficer@recl.in पर भेजें और इसका कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

21. संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग समाप्त होने पर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में दिए गए वोटों का आकलन करेंगे और उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग के जरिए दिए गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षा की रिपोर्ट तैयार करके उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

22. वोटिंग का परिणाम, जिसमें संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोटों की संख्या और संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ यह बताया जाएगा कि क्या संकल्प पारित हुए अथवा नहीं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर आरईसी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी निर्धारित समय के भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा, यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं तो उन्हें 51वीं एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण।

निम्नलिखित विवरणों में सूचना में निर्धारित विशेष कारोबारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद संख्या 5

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी की सहमति से एक संकल्प पारित करके धनराशि उधार लेता है, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि को मिलाकर चुकता पूंजी और कंपनी के फ्री रिजर्व से अधिक है।

इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने दिनांक 25 सितंबर, 2018 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करके कंपनी के निदेशक मंडल को भारतीय रुपए में कुल 3,50,000 करोड़ रुपए तक और किसी विदेशी मुद्रा में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समान धनराशि उधार लेने के लिए शक्तियां प्रदान कीं।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निवल उधारी की राशि 2,80,116 करोड़ रुपये थी और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बाजार से निवेशकों को बांड जारी करके और बैंकों व वित्तीय संस्थानों से दीर्घावधिक ऋण प्राप्त करके, विदेशी मुद्रा उधारी इत्यादि प्राप्त करके ऋण क्रियाकलापों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये की धनराशि उधार लेने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, अनुमानित उधारियों के साथ–साथ मौजूदा बकाया उधारियां, सदस्यों द्वारा अनुमोदित समग्र उधारी की सीमा से अधिक होने की संभावना है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत भारतीय रुपये में 3,50,000 करोड़ रुपये से 4,50,000 करोड़ रुपये तक उधारी की सीमा बढ़ाने के लिए और किसी अन्य विदेशी मुद्रा में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की समान राशि आगे की उधारी की आवश्यकता पूरी करने के लिए सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा सभी संगत दस्तावेज एजीएम की तारीख तक इस सूचना के परिचालन की तारीख से इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में यथा उल्लिखित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की।

उपरोक्त को देखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर इस संकल्प को पारित करने में कोई समस्या अथवा वित्तीय अथवा अन्यथा कोई हित नहीं है।

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके तहत बने नियमों के साथ पठित धारा 180(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार कोई कंपनी, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना एक विशेष संकल्प के द्वारा डाक मतों के जरिए कंपनी के समग्र उपक्रमों अथवा कंपनी के उपक्रमों के पूर्ण अथवा आंशिक भाग की बिक्री, पट्टे पर अथवा उसका अन्यथा निपटान नहीं कर सकती। तथापि, दिनांक 9 फरवरी, 2018 की एमसीए अधिसूचना के संदर्भ में, डाक मतों के जरिए किए गए कार्यों की किसी मद को एक कंपनी द्वारा आम बैठक में किया जाए, जो इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट करके सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, आरईसी अपने सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रही है ताकि उन्हें इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से आम बैठक में संकल्पों के संबंध में वोट देने में समर्थ बनाया जा सके। तद्नुसार, कंपनी की किसी अथवा सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के मोरगेज और/अथवा चार्ज के लिए विशेष संकल्प इस एजीएम में पारित करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के प्रचालनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और कंपनी की बढ़ती निधि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी की अचल/चल संपत्तियों के संबंध में प्रतिभूति प्राप्त करके अतिरिक्त धनराशि जुटाई जानी अपेक्षित है। चूंकि कंपनी के उपक्रमों के चार्ज/मोरगेज अथवा उनके अन्यथा निपटान के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के तहत विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक है।

अतः कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की अचल औरध्अथवा चल संपत्तियों, जिनमें वर्तमान और भविष्य की संपत्तियां शामिल हैं, के संबंध में भारतीय रुपए में 4,50,000 करोड़ रुपये तक और किसी विदेशी मुद्रा में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समान राशि तक का ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क), उनके तहत बने नियमों और किसी अन्य सांविधिक और इस संबंध में पूरी की जाने वाली प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार, अन्यथा कोई धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है।

मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा अन्य सभी संगत दस्तावेज इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की।

उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि इस सूचना की मद संख्या 6 में दिए गए विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर इस संकल्प को पारित करने में कोई समस्या अथवा वित्तीय अथवा अन्यथा कोई हित नहीं है।

मद संख्या 7:

कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका एवं आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी तब तक अपनी प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अंशदान करने का आमंत्रण पहले से प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। तथापि, "गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों" के लिए पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में वह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के लिए सभी पेशकश (पेशकशों) अथवा आमंत्रण (आमंत्रणों) के लिए वर्ष में केवल एक बार पूर्व विशेष संकल्प पारित करती है।

अतः, एक विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात 24 सितंबर, 2021 तक एक या दो भागों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, जो कंपनी के बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत, जो भी समय–समय पर कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, को एक या दो भागों में 85,000 करोड़ रुपए तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां जुटा सकें। इसके अलावा, इस एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित 85,000 करोड़ रुपये की उक्त सीमा समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी का निदेशक बोर्ड ("बोर्ड") अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये किसी अन्य प्राधिकारी को उन निवेशकों की श्रेणी जिन्हें बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, इश्यू कीमत, टेनर, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमत में किश्त/छूट, इश्यू की धनराशि, बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी में इश्यू कीमत पर छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने सहित इश्यू की शर्तें निर्धारित करने के लिए और उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत उन सभी कार्यों/विलेखों/बातों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा सभी संगत दस्तावेज इस नोटिस के परिचालित होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 7 में लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 8:

कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम या नियम के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक "संबंधित पक्षकार" के साथ कोई संविदा या व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगी, बशर्ते कि इस संबंध में शेयरधारक अपनी सहमति दें। अन्य बातों के साथ–साथ, "संबंधित पक्षकार" शब्दावली में इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) भी शामिल है, जो आरईसी की संबद्ध कंपनी है।

आरईसी समय–समय पर ईईएसएल या किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ संविदा व्यवस्था लेनदेन निष्पादित करना चाहेगा। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक का हो सकता है। अतः, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी द्वारा ईईएसएल या किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ कोई संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) को करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यह कार्य माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या किसी एजेंट के माध्यम से) बेचने/खरीदने, किसी प्रकार संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता सहित किसी सहायता का लाभ उठाने या सेवा प्रदान करने, जनशक्ति की नियुक्ति करने, सहायक या अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय–समय पर की जाने वाली संविदा आदि भी शामिल है। परंतु संबंधित पक्षकारों के साथ

ऐसी संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेनदेन (लेनदेनों) करने का संचयी मूल्य वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधान कंपनी द्वारा सामान्य कारोबार के रूप में किए जाने वाले किसी लेनदेन (लेनदेनों) पर लागू नहीं होंगे, जो उसके निकट न हो। तदनुसार, ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनियों (विद्यमान या भावी) के साथ किए जाने वाले लेनदेनों के संबंध में ही अनुमोदन प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है जो प्रत्यक्षतः इसके निकट न हो।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") या निदेशक मंडल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को यह प्राधिकृत किया जाएगा कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (विद्यमान या भावी) के साथ संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) की प्रकृति, अवधि, महत्वपूर्ण शर्तों, मौद्रिक मूल्य और ब्योरों को अंतिम रूप दे और अनुमोदित करे, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के आरईसी के कुल कारोबार की दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) की समग्र सीमा के अंतर्गत हो।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 8 में लिखित साधारण संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ

कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

स्थानः **कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,**
7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

दिनांकः **31 अगस्त, 2020**

सूचना का अनुलग्नक

रिमोट ई–वोटिंग, 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अनुदेश

क. 51वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली के लिए अनुदेश

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 22 सितंबर, 2020, मंगलवार (10 00 बजे) से शुरू होकर 24 सितंबर, 2020, गुरूवार (17 00 बजे) तक होगी। बाद में वोटिंग के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

I. एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलैक्ट्रॉनिकल रूप से वोट करने के लिए, दो चरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जो इस प्रकार है:

चरण–1:

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: https://www.evoting.nsdl.com
2. जब ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉग–इन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" खंड में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।
   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सर्विसेज अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएएस लॉग–इन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉग–इन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सर्विसेज में लॉग–इन कर लेते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण–2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत दें।

चरण–2:

1. चरण–1 पर सफलतापूर्वक लॉग–इन के बाद, आप ई–वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई–वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, सक्रिय मतदान चक्रों पर क्लिक करें।
2. आप सभी कंपनियों के "ईवीईएन" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्तर में है।
3. उस कंपनी के "ईवीईएन" का चयन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई–वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर "कन्फर्म" भी करें।
6. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश दिखाई देगा।
7. आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

एनएसडीएल ई–वोटिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का ब्यौरा

यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:

शेयर धारण करने का ढंग, अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा वास्तविक	**यूजर आईडी**
क) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास एनएसडीएल में डीमैट खाता है	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों के ब्यौरा की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए यदि आपके डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12****** है।
ख) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास सीडीएसएल में डीमैट खाता है	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12********** है।
ग) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास वास्तविक रूप में शेयर हैं	ईवीईएन नंबर के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।

आपके पासवर्ड के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क.) यदि आप पहले से ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉग–इन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

ख.) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" लेने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए विवश करेगा।

ग.) "आरंभिक पासवर्ड" कैसे लेना है:

(i) यदि आपका ई–मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई–मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई–मेल खोलें और संलग्न "पीडीएफ" फाइल खोलें। "पीडीएफ" फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। "पीडीएफ" फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।

(ii) यदि आपका ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नोटिस की टिप्पणी संख्या 6 में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

II. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" लेने में अक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क. यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर "यूजर ब्यौरा/पासवर्ड भूल गए" विकल्प पर क्लिक करें।

ख. यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फिजिकल यूजर रीसैट पासवर्ड" पर क्लिक करें।

ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए www.evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग–इन का भी प्रयोग कर सकते हैं।

III. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "निबंधन एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।

IV. अब, आपको "लॉग–इन" बटन पर क्लिक करना होगा।

V. "लॉग–इन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

यदि कोई प्रश्न हो तो आप शेयरधारकों के लिए बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध करें अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि., ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400 013 को ई–मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर भेजें अथवा दूरभाष संख्या +91–22 2499 4360 अथवा +91–99202 64780 अथवा +91–22–2499 4545 पर संपर्क करें, जो इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ई–मेल पते complianceofficer@recl.in पर भी लिख सकते हैं।

ख. 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश:

1 सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य उसे रिमोट ई–वोटिंग प्रमाणों का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन के तहत http://www.evoting.nsdl.com पर प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन पर उपलब्ध होगा, जहां पर कि कंपनी का ईवीईएन दिखाई देगा। कृपया यह नोट करें कि ऐसे सदस्य, जिनके पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय पर व्यस्तता से बचा जा सके। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. सदस्यों को कैमरे की भी अनुमति होगी और बैठक के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति होगी।

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। अतः सिफारिश की जाती है कि उपरोक्त किसी भी प्रकार की रुकावट में कमी करने के लिए स्थिर वाईफाई अथवा एलएएन कनेक्शन का उपयोग करें।
5. ऐसे शेयरधारक, जो बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "स्पीकर" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें और अपना नाम, डीमैट खाता नं./फोलियो नं. ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले complianceofficer@recl.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ग. 51वीं एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेशः

1. एक बार नोटिस की सभी मदों पर बैठक में चर्चा पूरी हो जाने पर, प्रत्येक संकल्प को एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए रखा जाएगा। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संवीक्षक को ई–मेल scrutinizer.recl@gmail.com पर बोर्ड के संकल्प/प्राधिकारी पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।
2. एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार ही होगी।
3. केवल ऐसे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए हैं और जो ऐसा करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वे एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए पात्र होंगे।
4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए मत दिया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनसे एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति होगा, जो रिमोट ई–वोटिंग के लिए उल्लिखित किया गया है।

51वीं वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशक (कों) का संक्षिप्त विवरण

नाम	**श्री संजीव कुमार गुप्ता**
डीआईएन	03464342
जन्मतिथि	04 अक्तूबर, 1961
नियुक्ति की तारीख	16 अक्तूबर, 2015
योग्यता	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री संजीव कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 1 जून, 2020 से अतिरिक्त प्रभार) और दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) हैं। आपके पास जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंत नगर, उत्तराखंड से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। आपने प्रतिष्ठित सीपीएसयू एनएचपीसी, पावरग्रिड और आरईसी में कार्य किया है और आपके पास अंतर्राष्ट्रीय परामर्शी कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और विद्युत परियोजनाओं का वित्पोषण इत्यादि सहित बड़ी पारेषण परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं रख–रखाव, प्रापण और संविदा, गुणवत्ता आश्वासन, परियोजना प्रबंधन जैसे विविध कार्यों का भारतीय विद्युत क्षेत्र में 38 वर्षों का अनुभव है। आप कोर टीम के सदस्य थे और भारत की प्रथम 765 केवी एसी और ±800 केवी एचवीडीसी पारेषण लाइन के लिए तकनीकी विनिर्देशन तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे और नई प्रौद्योगिकियों को लाने, आरओडब्ल्यू ऑप्टिमाइजेशन, पारेषण लाइनों को अपग्रेड करने, भारतीय पारेषण ग्रिड में विशेष कंडक्टर के लिए सहायक थे। आप अपनी वर्तमान भूमिका में, विद्युत और इंफ्रा परियोजनाओं के मूल्यांकन और वित्तपोषण, कारोबारी विकास, अपने मिशन, लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए कंपनी के विविधीकरण और समग्र प्रभावी कार्यकरण सहित सभी तकनीकी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। आप भारत सरकार के डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण और घरेलू विद्युतीकरण के सफल कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायक रहे हैं। आप आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में पदेन अध्यक्ष भी हैं और इन कंपनियों में पहले भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। आप वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर दिनांक 16 मार्च, 2010 से आरईसी में कार्य करते रहे हैं और आपने पहले यूपी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड इत्यादि सहित कई कंपनियों के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	• आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड • आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
आरईसी से भिन्न सभी अन्य सरकारी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	––
निदेशकों के साथ आपसी संबंध	कंपनी के किसी निदेशक के साथ आपसी संबंध नहीं है।
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य